तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की त... में जारी...
3/03/2026	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर प्रति- संख्या 01 का नाम वर्तमान आराजीयात से कलमजन किया जाकर वर्तमान जमाबंदी में वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 निशा बनाम राधारमन बगै0

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 115/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित विवादित आराजी हाल जमाबंदी संवत 2074–77 के विवादित आराजी खसरा नं0 92 रकवा 0.32 हैक्टे. एवं 93 रकवा 0.33 कुल रकवा 0.65 हैक्टे. वाके ग्राम नयावास हिस्सा 1/3 पर राधारमन पुत्र नारायन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन करते हुए मुताबिक वयनामा दिनांक 19.01.2024 वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिकी जारी हो।

बेज – मुबलिग ———— बावत ———— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुंहर अदालत के आज तारीख 13/3/2026 को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत उपखण्ड अधिकारी

नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रुप्या	पैसा	मुद्दालय	रुपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

1. निशा शर्मा पत्नि अनुपम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी अंहिसा सर्किल के पास, खेडली गंज तह
कठूमर जिला अलवर

—वादिनी

बनाम

1. राधारमन पुत्र नारायन जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

— असल प्रतिवादीग

3. रामेश्वरदयाल शर्मा पुत्र खुशीराम जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई।

— तर0 प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

ायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

सं. 115/2025
एमएस नं0 2025/254
दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
य दिनांक 13.03.2026

शा शर्मा पत्नि अनुपम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी अंहिसा सर्किल के पास, खेडली गंज तहसील ठूमर जिला अलवर

—वादिनी

बनाम

राधारमन पुत्र नारायन जाति हैवासी ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

— असल प्रतिवादीगण

. रामेश्वरदयाल शर्मा पुत्र खुशीराम जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई।

— तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री ओमप्रकाश पाराशर एड0 (वादी की ओर स

: **निर्णय** : दावा अन्त.धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादिनी द्वारा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. यह है कि पक्षकारान मुकदमे में ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा के अयोग्य हो सभी पक्षकारान वाद लडने योग्य हैं।
2. यह है कि विवादित आराजी आराजी खसरा नं0 92 रकवा 0.32 हैक्टे. व 93 रकवा 0.33 हैक्टे. किता 02 कुल रकवा 0.65 हैक्टे. वाके ग्राम नयावास तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है।
3. यह है कि दावा की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी के पूर्व में खातेदार काश्तकार चन्द्रभान पुत्र नारायण व राजेश पुत्र नारायण व प्रतिवादी संख्या 01 राधारमन पुत्र नारायण तीनों भाई वाहिस्सा बरावर 1/3, 1/3, 1/3 के खातेदार काश्तकार रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज थे तथा चन्द्रभान पुत्र नारायण ने अपना 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण दिनांक 23.06.2021 को तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 रामेश्वर दयाल शर्मा को बेचान कर दिया व राजेश पुत्र नारायण ने भी अपना 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण दिनांक 02.07.2021 तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 रामेश्वरदयाल शर्मा को बेचान कर दिया, लेकिन उक्त वयनामाओं का दाखिला खारिज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया और वे चन्द्रभान व राजेश की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज चले आ रहे है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने व प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त विवादित आराजी सम्पूर्ण का वयनामा दिनांक 19.01.2024 को वादिनी के नाम करा दिया लेकिन इसके बाद वादिनी को वयनामा कराने के बाद जब तक की वादिनी के नाम दाखिल खारिज नहीं खुला था और बीच में ही राजेश व चन्द्रभान द्वारा कराये गये रजिस्टर्ड विकय पत्रों का दाखिला खारिज हिस्सा 2/3 का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 01 के

उपखण्ड अधिका
नदबई (भरतपुर)

।3। यह कि दावे की मद ...

गया और प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बेचान किये गये अपने 1/3 हिस्से का दाखिला इसी वजह से अब वादिनी के नाम नहीं खुल पा रहा है। वादिनी उक्त वयनामा के आधार 3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जात प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/3 हिस्से पर चले आ रहे इन्द्राजात गलत है जो कि जन किये जाने योग्य है। अतः वादिनी, प्रतिवादी संख्या 01 के नाम गलत चल रहे जातों को वयनामा के आधार पर अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की कारिनी है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चल रहे खातेदारी काश्तकारी के इन्द्राजातों को मजन करा पाने की अधिकारिनी है।

है कि दिनांक 02.09.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने गलत इन्द्राजातों के आधार पर दिनी को यह ऐलानियां धमकी दी है क खातेदारी काश्तकारी के इन्द्राजात 1/3 हिस्से के मेरे म चले आ रहे है और गलत खातेदारी काश्तकारी के इन्द्राजातों के आधार पर किसी दीगर यक्तियों को बेचान करके रहूंगा व बैंक में रहन रख लोन लेकर रहूंगा व वादिनी को अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम करके रहूंगा व कब्जे से बेदखल करके रहूंगा। अगर प्रतिवादी अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गया तो वादिनी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकगी। अतः वादिनी प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिकी से इस कदर पाबंद करा पाने की अधिकारिनी है ि कवह गलत इन्द्राजातों जो उसके नाम चले आ रहे है आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुंतकिल न करें व वादिनी को कब्जे से बेदखल न करें व खातेदारी अधिकारों से महरूम न करें। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है वादपत्र वादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि वादिनी को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कराये गये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 19.01.2024 के आधार पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिकी से इस कदर पाबंद किया जावे कि वह अपने नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजातों के आधार पर आराजी मुतदाबिया को रहन, वय मुन्तकिल न करे व वादिनी को उसके हिस्से व कब्जे से बेदखल नहीं करे। व वादिनी के हिस्से में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमद न करें। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर कोई भी उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संबत 2074–77 वाके ग्राम नयावास, फोटोप्रति वयनामा विकेता चन्द्रभान, राजेश, राधारमन व केता निशा शर्मा दिनांक 18.01.2024, फोटोप्रति वयनामा विकेता राजेश व केता रामेश्वरदयाल शर्मा दिनांक 02.07.2021,

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

13। यह कि दावे की ...

वयनामा विकेता चन्द्रभान व केता रामेश्वरदयाल शर्मा दिनांक 32.06.2021 एवं मौखिक रूप में निशा शर्मा पत्नि अनुपम शर्मा जाति ब्राह्मण नि. खेरली एवं बुद्धीराम शर्मा पुत्र ाराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नयावास तहसील नदबई के शपथ पत्र पेश किये गये।

हमने वादिनी के अधिवक्तागण की ओर से एकतरफा बहस सुनी गई । वादिनी के वक्तागण की ओर से अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराया गया है। तथा वली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया तो पाया वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। ावली में राजस्व रिकॉर्ड संवत 2074—77 वाके ग्राम नयावास की जमाबंदी संलग्न है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 92 रकवा 0.32 हैक्टे. एवं 93 रकवा 0.33 हैक्टे. वाके ग्राम नयावास तहसील दबई में स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वयनामा दिनांक 19.01.2024 का अवलोकन किया गया (प्रदर्श—1) जिससे स्पष्ट है कि विकेता चन्द्रभान पुत्र नारायन, राजेश पुत्र नारायन एवं राधारमन पुत्र नारायन द्वारा केता निशा शर्मा को विवादित आराजी खसरा नम्बरान 92 रकवा 0.32 हैक्टे. एवं 93 रकवा 0.33 हैक्टे. सम्पूर्ण हिस्सा कुल रकवा 0.65 हैक्टे. का बेचान जरिये रजिस्टर्ड वयनामा किया गया (प्रदर्श—2) लेकिन विवादित आराजी में से चन्द्रभान एवं राजेश के हिस्सा 2/3 का बेचान पूर्व में हो जाने के कारण दाखिला खारिज नहीं हो सका। चूंकि वादी द्वारा चन्द्रभान एवं राजेश से कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। वादी मुताबिक वयनामा दिनांक 19.01.2024 के राजस्व रिकॉर्ड 2074—2077 में अंकित खसरा नम्बर 92 रकवा 0.32 हैक्टे. एवं 93 रकवा 0.33 कुल रकवा 0.65 हैक्टे. में से 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 राधारमन पुत्र नारायन के इन्द्राजात को कलमजन करते हुए वादी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु निवेदन किया है। हमने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे गलत वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन कर हाल राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में है। दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित विवादित आराजी हाल जमाबंदी संवत 2074—77 के विवादित आराजी खसरा नं0 92 रकवा 0.32 हैक्टे. एवं 93 रकवा 0.33 कुल रकवा 0.65 हैक्टे. वाके ग्राम नयावास हिस्सा 1/3 पर राधारमन पुत्र नारायन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन करते हुए मुताबिक वयनामा दिनांक 19.01.2024 वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/03/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
~~उपखण्ड अधिकारी नदबई~~
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)